फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत– उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. रतनसिंह पुत्र दूदसिह जाति रावत, निवासी खरनी खेड़ा, तह0 सोजत, जिला पाली, राजस्थान।	1.	मालसिह पुत्र दूदसिंह के का0मु0
	1/1.	कबीरसिंह पुत्र मालसिंह
	1/2.	पूनमसिंह पुत्र मालसिंह
	1/3	लक्ष्मणसिंह पुत्र मालसिंह के का0मु0
	1/3/1	कमला पत्नि लक्ष्मणसिंह
	1/3/2	सुशीला पुत्री लक्ष्मणसिंह
	2	गोपालसिंह
	3	प्रतापसिंह
	4	थानसिंह
	5	लक्ष्मणसिंह पि0 घीसासिंह
	6	मीरा बेवा घीसासिंह
	7	राजूसिंह पुत्र रूपसिंह के का0मु0
	7/1	मुमी देवी पत्नि राजूसिंह
	7/2	गोविन्दसिंह
	7/3	तुलछासिंह
	7/7	डाली देवी
	7/5	सैना देवी पि0 राजूसिंह
	8	गोकलसिंह पुत्र दौलतसिंह
	9	सगु बेवा दौलतसिंह
	10	गोकुलसिंह पुत्र चतरसिंह
	11	कल्याणसिंह पुत्र चतरसिंह
	12	मुमी पत्नि चतरसिंह
	13	कानसिंह के का0मु0:–
	13/1	तिलोकसिंह पुत्र कानसिंह
	13/2	नैनू देवी पुत्री कानसिंह
	13/3	पूनी देवी पुत्री कानसिंह
	14	दीपसिंह पुत्र वनेसिंह
	15	दाखु बेवा सादूलसिंह
	16	जसवन्तसिंह पुत्र सादूलसिंह
	17	जालमसिंह
	18	हुकमसिंह
	19	जेठी देवी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

20 सेदा देवी
21 प्यारी देवी पि0 रामसिंह
22 दुर्गसिंह
23 नारायणसिंह
24 नेतसिंह
25 मोहनसिंह पि0 हालसिंह
26 फुली देवी बेवा हालसिंह जातिगण रावत,
निवासीगण खरनी खेड़ा, तह0 सोजत पाली।
27 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

किस्म मुकदमा:– राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी मु0न0 79/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
12.10.2020	तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत उपस्थित। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार, सोजत से बांद जॉच तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा दिनांक 17.09.2020 मय पटवारी हल्का खोड़िया द्वारा रिपोर्ट बाबत् संशोधित डिक्री प्रस्तुत हुई, सा0 मि0 किया गया। अप्रार्थी संख्या प्रति0 संख्या 27 ने दिनांक 17.09.2020 को प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी बाबत् संशोधित करने निर्णय एवं डिक्री इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.09.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी कर सरहद मौजा खरनी खेड़ा, तहसीलदार सोजत के ख0न0 98, 99, 100, 102, 106, 118, 119 व 120 कुल खसरा 08 कुल रकबा 01.2000 हैक्टर भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य मौका, रेकर्ड, कब्जा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक खसरा नंबर एवं लगान का निर्धारण करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में प्रतिवादी द्वारा पत्रांक/राजस्व/15/139 दिनांक 29.01.2015 के जरिए उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर न्याायालय हाजा माफिक सहमति अनुसार दिनांक 22.05.2015 को प्रकरण में निर्णय मय अन्तिम डिक्री पर्चा जारी कर पालना करने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय एवं अन्तिम डिक्री में दो खातों का नवीन विभाजन हुआ,	

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

जिसमें क्र0स0 1 में रतनसिंह पुत्र दूदसिंह व दूसरा खाता क्र0स0 2 का पूनमसिंह, कबीरसिंह वगैरह से निर्धारित किए माफिक निर्णय व डिक्री उक्त भूमि में से वादी रतनसिंह के हिस्से में ख0न0 106/1 रकबा 0.0400 हैक्टर व ख0न0 118/1 रकबा 0.0800 हैक्टर रहा। शेष क्र0स0 2 में वर्णित खाता में पूनमसिंह कबीरसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्र मालसिंह का 1/10 हिस्सा व शेष खातेदार गोपालसिंह प्रतापसिंह वगैरह का 4/5 हिस्सा दर्ज कर निर्धारित किया, उक्त निर्णय एवं डिक्री में उल्लेखित है। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु वादी रतनसिंह द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्व ईजराय संख्या 03/2019 प्रस्तुत की। जिसकी पालना के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त होने पर पालना हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का को पत्र प्रेषित करने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त निर्णय व डिक्री में वादी का हिस्सा माफिक रकबा अनुसार सही व निर्धारित दर्ज हैं। लेकिन ख0नं0 98, 99, 100, 102, 106, 118, 119 व 120 में प्रति0 पूनमसिंह कबीरसिंह, लक्ष्मणसिंह के 1/10 से स्थान पर 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। इसी प्रकार शेष खातेदारान गोपालसिंह वगैरह का 4/5 हिस्सा के स्थान पर 8/9 हिस्सा पूर्व में उक्त प्रति0 के हिस्से निर्णय व डिक्री में वर्णित है, उसे उक्त खातेदारान के हिस्से का योगांक मेल नहीं हो रहा है, जिससे अमल दरामद में कठिनाई हो रही है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रति0 27 ने प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किये जाने तथा चूंकि उक्त संशोधन से किसी भी खातेदारान के हक हिस्से पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा, फलस्वरूप उक्त निर्णय व डिक्री में तदानुसार संशोधन किये जाने की संशोधित डिक्री जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी में वर्णित तथ्यों तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 प्राप्त की जाकर सा0मि0 की गई। पटवारी हल्का खोड़िया तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्टानुसार उक्तं निर्णय व डिक्री अनुसार 2 खातों का नवीन विभाजन हुआ। जिसमें एक खाता रतनसिंह पुत्र दूदसिंह तथा दुसरा खाता पूनमसिंह कबीरसिंह वगैरह के नाम नवीन खातो का निर्धारण हुआ। दूसरा नम्बर के खाते में हिस्सा क्रमशः 1/10 एवं 4/5 दर्ज किया है, जिससे हिस्सों का योगांक एक नही हो पा रहा है। वर्तमान में नवीन राजस्व रेकर्डानुसार प्रत्येक खातेदार का हिस्सा दर्ज किया जाना है। इस प्रकार तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर संशोधित हिस्सों का सही व दुरूस्त निर्धारण करवाते हुए संशोधित डिक्री जारी किये जाने की अभिशंषा तथात्मक रिपोर्ट

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

दिनांक 17.09.2020 एवं 12.10.2020 में की है। जमाबंदी सम्वत् 2074–77 के रेकर्ड अनुसार दिगर अप्रार्थीगण को पक्षकारान बनाया गया।

बहस प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत एवं वकुलाय सुनी गई। प्रस्तुत राजस्व ईजराय, संलग्न निर्णय व डिक्री तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2074–77 एवं तहसीलदार, सोजत तथा पटवारी हल्का खोड़िया द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रतिपक्षी तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 152 सीपीसी का माफिक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.09.2020 तथा 12.10.2020 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तदानुसार संशोधन करके संशोधित डिक्री पर्चा मूर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हे। उक्त निर्णय एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संशोधित डिक्री पर्चा को निर्णय का एक भाग माना जाता है। जिनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भिजवाई जाकर पालना मंगवाई जावें। संशोधित डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व ईजराय एवं मूलवाद संख्या 85/2010 में संलग्न की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner